

१५.० प्रशिक्षण शुल्क, अनामत रक्कम व सवलत बाबत विवरण:

१५.१ शासकीय व खाजगी औ.प्र.संस्थांसाठी आकारलेले शुल्क विवरण खालीलप्रमाणे

| अ. क्र. | तपशील | शासकीय औ.प्र.संस्था | | | | | खाजगी औ.प्र.संस्था | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|-------|-------|--|--|------|-----|-----|-----|
| | | सामान्य श्रेणी | राखीव श्रेणी | IMC जागा | OMS | NRI | MS | OMS | NRI | | | |
| वार्षिक प्रशिक्षण शुल्क | | | | | | | | | | | | |
| १ | प्रशिक्षण शुल्क | मशीन गट - अभियांत्रिकी व्यवसाय | १२०० | - | ३०००० | ४५००० | ६०००० | महाराष्ट्र शासनाने ठरविलेल्या शुल्कानुसार व प्रपत्र - २ मध्ये दिल्याप्रमाणे | | | | |
| | | बिगर मशीन गट - अभियांत्रिकी व्यवसाय | १००० | - | २५००० | ३७५०० | ५०००० | | | | | |
| | | बिगर अभियांत्रिकी व्यवसाय | ८०० | - | २०००० | २०००० | ४०००० | | | | | |
| २ | संस्था विकास शुल्क | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | संबंधित औ. प्र. संस्थांनी निश्चित करावे | | | | | |
| ३ | ओळखपत्र शुल्क | ५० | ५० | ५० | ५० | ५० | | | | | | |
| ४ | ग्रंथालय शुल्क | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | | | | | | |
| ५ | इंटरनेट सुविधा शुल्क | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | | | | | | |
| ६ | सांस्कृतिक कार्य शुल्क | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | | | | | | |
| ७ | वसतीगृह शुल्क | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | | | | | | |
| ८ | प्रशिक्षण अनामत रक्कम | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | | | | ५०० | ५०० | ५०० |
| ९ | ग्रंथालय अनामत रक्कम | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | | | |
| १० | वसतीगृह अनामत रक्कम | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | | | |

१५.२ शासकीय औ.प्र.संस्थेतील प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षण शुल्कामध्ये तसेच इतर शुल्कात दिली जाणारी सवलत ही राज्यातील रहिवासी असलेल्या व विहित पात्रता धारक उमेदवारांना दिली जाईल.

१५.३ शासकीय औ.प्र.संस्थेतील, संस्था व्यवस्थापन समिती मधील तुकडीकरिता, मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या (नियम क्र. १.२.१२ अन्वये) ११०% जागांकरिता शासकीय औ.प्र.संस्थेचे शुल्क लागू होईल. प्रशिक्षण वर्ष २०१५-१६ करिता खाजगी औ.प्र.संस्थेस जे मूलभूत शुल्क आकारले आहे, ते संस्था व्यवस्थापन समितीच्या मंजूर उपलब्ध जागांपैकी २०% जागांना लागू होईल. तथापि, संबंधित शासकीय औ.प्र.संस्थांच्या संस्था व्यवस्थापन समिती, वरीलपेक्षा कमी फी आकारू शकतात. जर संस्था व्यवस्थापन समितीने कमी फी घेण्याचा निर्णय ठरविला असेल तर तो निर्णय सक्षम अधिकाऱ्याला प्रवेश प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी कळवावा लागेल.

१५.४ अनामत रक्कम प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षणादरम्यान प्रवेश रद्द केल्यास किंवा प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर (काही वजावटी लागू असल्यास) परत केली जाईल.

१५.५ खाजगी औ.प्र.संस्थांचे शुल्क हे संबंधित औ.प्र.संस्थांच्या विहित अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे जमा करण्यात यावे. खाजगी औ.प्र.संस्थांना हप्त्याने शुल्क घेण्याची मुभा/परवानगी आहे. तथापि, यासंबंधीचा निर्णय सर्वतोपरी संबंधित खाजगी औ.प्र.संस्थेचा राहिल.

१५.६ शासकीय औ.प्र.संस्थेचे शुल्क

१५.६.१ शासकीय औ.प्र.संस्थेचे शुल्क संबंधित शासकीय औ.प्र.संस्थेत रोखीने जमा करावे. शुल्क अदा केल्यानंतरच प्रवेश निश्चित करण्यात येईल.

१५.६.२ वरीलप्रमाणे शासकीय औ.प्र.संस्थेत प्रशिक्षणार्थ्यांकडून घेण्यांत येणारे प्रशिक्षण शुल्क हे शासन जमा करण्यांत येईल. उर्वरित शुल्क जसे संस्था विकास शुल्क, ओळखपत्र शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, इंटरनेट सुविधा शुल्क व सांस्कृतिक कार्य शुल्क संबंधित संस्थेच्या स्वीय प्रपंची लेख्यामध्ये जमा करण्यांत येईल.

१५.६.३ स्वीय प्रपंची लेख्यामध्ये जमा करण्यांत आलेल्या निधीतुन खालील बाबींवर खर्च करण्यांत येईल.